निर्णय ब इजलास अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 46/2026 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

दीपक यादव निवासी MTR&S SECTION,

AIRFORCE STATION THANJAVUR, TAMILNADU

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

......प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 05.05.2026

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2026/337 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी श्री दीपक यादव का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 45370444761766 दिनांक 04.04.2026 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी क्रम में आवेदक को स्पष्ट सूचना का अंकन करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर ही अवगत कराया जा चुका है। परन्तु आवेदक द्वारा आदिनांक तक स्पष्ट सूचना का अंकन नहीं किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः कार्यालय लोक सूचना अधिकारी में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाने की कृपा करे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं प्रत्यर्थी के जवाब से जाहिर होता है आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी क्रम में आवेदक को स्पष्ट सूचना का अंकन करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर प्रत्यर्थी द्वारा अवगत करावाया गया था लेकिन अपीलार्थी/आवेदक द्वारा स्पष्ट सूचना का अंकन नहीं किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपील में राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः उक्त अपील अस्वीकार कर निरतारित की जाती है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली बहरोड़